

1. यह दावा/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा... 53, 188... का द्वारा श्री. राम. रा.स. का. का. के द्वारा प्रस्तुत हुआ है।
2. कोर्ट फीस पूर्ण है।
3. क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।
4. दस्तावेज एवं सम्मन तलबाना संलग्न है।
5. पाद द्वितीय प्रति संलग्न है। रिपोर्ट अपलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

23/6/21

श्रीमान उपरुखण्ड अधिकारी महोदय शाखा लिपिक/रीडर

उप करी

सम्मन जारी करे
23/6/21

10.0.21

23/6/21 दावा दर्ज रजिस्टर में प्रिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर दि. 20-7-21 को पेश हो।

20/7/21...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. सहबलोरेना
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक... 31/8/21
को पेश हो।
रीडर

31-8-21 उभय पक्ष के तमिनाख उप.। इंटरनर तमील दिनांक 11-10-21 को पेश हो।

11/10/21...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. सहबलोरेना
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक... 22-11-21
को पेश हो।

18-11-21 तमिनाख उप. के संत तमिनाख में उभयपक्ष
मुख्याध्य पर पेश हो तमिनाख हो समादि
04-01-22 को पेश हो।

रहीश/अभिलेख

4-22 कमील वती उपर । R-A फरवरी नै सतम खणनाले
दोकर दिनांक 15-3-22 नै चेर्यो

17-22 पसाखी पेडा छी । मात्र पसाखी कमील वती नै उर्यो ।
पर पर पेडा छी । कमील वती वपलीक नै वद ।
नो विडा नै छै । प्रर्यापर पेडा किया
पापीक नै पहचान कमील नै रतमिह नै नै छै
अतः पावा नारी विडा किया जाय हो पसाखी
कमील सुमार दोकर दाखिल लेख मण्डर

श. श्रीसुकुमार
पहचान नै
17-22


उपखण्ड अधिकारी
विशालाबास (अलवर)